जिला सैनिक कल्याण तोशन तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की सैनिक विभाग सह निधि के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/91 से 3/97

भाग-प्रथम

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवेदनों में सम्मिलित/अनिर्णीत पैरों पर कोई सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं की गई थी । यह अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है । अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए । अनिर्णीत पैरों के निपटारे के सम्बन्ध में जो कार्यवाई की गई थी उसका सत्यापन करने के उपरान्त अभी तक भी अनिर्णीत पड़े पैरों की नवीनतम स्थिति नीचे दी जाती है ।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/77 से 3/80

1. पैरा 14	अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/84

1. पैरा 4(ग):-	अनिर्णीत
2. पैरा 6(बी):-	यथोपरि
3. पैरा 6(ई):-	यथोपरि

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/86

1. पैरा 4(बी):-	अनिर्णीत
2. पैरा 6:-	यथोपरि

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87

1. पैरा 4(बी)(ई)व (एफ)	अनिर्णीत
2. पैरा 6(ए)(द)(सी):-	यथोपरि

(ङ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/91

1. पैरा 4	अनिर्णीत
2. पैरा 5	यथोपरि
3. पैरा [illegible]	यथोपरि
4. पैरा [illegible]	यथोपरि
5. पैरा [illegible]	[illegible] आंशिक रूप से निर्णीत । [illegible] 667/-रुपये की राशि श्री [illegible] [illegible],उपनिदेशक से वसूल की जानी

Settled

117

6.	पेरा 9:-	अनिर्णीत
7.	पेरा 10:-	आंशिक रूप से निर्णीत । रु0 98/=रु. की राशि प्रदीप राव, अधीक्षक से वसूल की जानी शेष है ।
8.	पेरा 11 :-	अनिर्णीत
9.	पेरा 12:-	निर्णीत
10.	पेरा 13 :-	निर्णीत
11.	पेरा 14	अनिर्णीत
12.	पेरा 15(क):-	यथोपरि
13.	पेरा 15(ख):-	निर्णीत
14.	पेरा 16 :-	अनिर्णीत
15.	पेरा 17 :-	यथोपरि
16.	पेरा 18 :-	यथोपरि
17.	पेरा 19 :-	यथोपरि
18.	पेरा 20 :-	यथोपरि
19.	पेरा 21 :-	निर्णीत
20.	पेरा 22 :-	अनिर्णीत
21.	पेरा 23 :-	यथोपरि
22.	पेरा 24(अ):-	यथोपरि
23.	पेरा 24(ब):-	निर्णीत
24.	पेरा 25 :-	अनिर्णीत
25.	पेरा 26 :-	निर्णीत
26.	पेरा 27 :-	अनिर्णीत
27.	पेरा 28 :-	निर्णीत
28.	पेरा 29(क):-	अनिर्णीत
29.	पेरा 29(ख) :-	निर्णीत
30.	पेरा 29(ग):-	अनिर्णीत
31.	पेरा 29(घ) :-	यथोपरि
32.	पेरा 29(ङ)(च)(छ):-	निर्णीत
33.	पेरा 30 :-	अनिर्णीत
34.	पेरा 31 :-	यथोपरि
35.	पेरा 32 :-	निर्णीत
36.	पेरा 33(क):-	यथोपरि
37.	पेरा 33(ख)(ग)	अनिर्णीत
38.	पेरा 34(क) से (ग):-	यथोपरि
39.	पेरा 35(क) से (ग):-	यथोपरि

settled

settled

भाग-दो

2. वर्तमान लेखा परीक्षा:-

अवधि 4/91 से 3/97 के निधाम ग्रह निधि लेखाओं की वर्तमान लेखा परीक्षा, जिसके परिणाम अनुवर्ती पेरों में दिये गये हैं, श्री [illegible] कुमार, अनुभाग अधिकारी [illegible] द्वारा दिनांक 11.9.97 से 20.9.97

लगातार पृष्ठ 3 पर....

10.10.91 से 31.10.91	2273 से 2287	438.00
5.4.92	2533	24.00

लगातार पृ. 4 पर.....

— 118 —

एवं 27.9.97 से 30.9.97 के दौरान सम्पन्न की गई। मास 4/91, 9/91, 4/92, 10/92, 6/93, 3/94, 10/94, 3/95, 4/95, 3/96, 9/96 व 3/97 के लेखों की विस्तृत जाँच पड़ताल की गई। लेखा परीक्षा से सम्बन्धित समस्त [illegible] अनियमितताएं अन्तिम लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :-

संस्थान के लेखों की अवधि 4/91 से 3/97 के लेखा परीक्षा का शुल्क कुल 400/=रुपये बनता है। शुल्क की उक्त राशि स्टेट बैंक पटियाला, सोलन शाखा के बैंक ड्राफ्ट संख्या एम.सी.टी.टी.-214082, दिनांक 14.10.97 द्वारा जमा करवाई गई।

4. वित्तीय स्थिति :-

अंकेक्षण अवधि 4/91 से 3/97 सैनिक विश्राम गृह निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

वर्ष	आदि शेष	आय	जोड़	व्यय	अन्तिम शेष
1991-92	11635.61	47930.80	59566.41	55941.90	3624.51
1992-93	3624.51	42597.00	46221.51	37487.70	8733.81
1993-94	8733.81	53421.00	62154.81	45537.00	16617.81
1994-95	16617.81	75576.00	92193.81	91834.00	359.81
1995-96	359.81	60151.00	60510.81	54044.00	6466.81
1996-97	6466.81	114003.00	120469.81	103272.35	17197.46

5. विश्राम गृह निधि की कुल 1167/=रुपये की राशि का दुर्विनियोजन:-

विश्राम गृह निधि के लेखा पुस्तकों की जाँच पड़ताल करते समय यह पाया गया कि विश्राम गृह में ठहरने हेतु आगन्तुकों से निम्न विवरणानुसार कुल 1167/=रुपये की राशि वसूल की गई, लेकिन उक्त वसूल की गई राशि को लेखा पुस्तकों में आय की तरफ दर्ज न करने के कारण कुल 1167/= रुपये की राशि निधि खाते में जमा नहीं की गई। परिणामस्वरूप उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में दोषी के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। 1167/=रुपये की राशि की वसूली या दोषी से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

वसूल करने की तिथि	रसीद संख्या	राशि (रु.)
5.7.91 से 8.7.91	2144 से 2153	264.00
12.7.91 से 13.7.91	2170 से 2175	94.00
3.9.91	2080 से 2089	42.00
10.10.91 से 21.10.91	2175 से 2289	438.00
6.4.92	2533	24.00

लगातार पृ. 4 पर......

1.1.93	0322	24.00
20.3.93	457 व 458	57.00
30.4.96	2098 व 2099	224.00
	जोड़ :-	1167.00

6. (घ) विश्राम गृह निधि की कुल 23,500/=रुपये की राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन :-

विश्राम गृह के नियम 9 परिशिष्ट एफ व जी में दिये गये प्राविधानुसार विश्राम गृह विवाहों के उत्सव आयोजन करने हेतु बुक नहीं किया जा सकता । इस सन्दर्भ में निदेशक, सैनिक कल्याण, हमीरपुर द्वारा उनके पत्र संख्या 7-29/सा०नि०/79-एस.डब्लयू.पी. दिनांक 21.6.93 द्वारा उक्त नियम के सन्दर्भ में यह आदेश जारी किये गये थे कि विश्राम गृह विवाहों के उत्सव आयोजन करने हेतु बुक न किया जाए । लेकिन अवधि 8/95 से 3/97 तक के बुकिंग रजिस्टर की जाँच पड़ताल करते समय यह पाया गया कि विश्राम गृह के सभी कमरे किसी एक पार्टी के नाम से विवाहों के उत्सव आयोजन करने हेतु एवं दूसरे राज्यों से आये पर्यटकों व स्थानीय पार्टियों के नाम से बुक किये जाते रहे । इसके अतिरिक्त उक्त पार्टियों से कुल 100/=रुपये प्रति दिन की दर से एक कमरे का किराया व कुल 300/=रुपये प्रति दिन की दर से हाल का किरायावसूल किया जाता रहा । कैशियर श्री [illegible] राम वर्मा तथा चौकीदार श्री मेहर चन्द द्वारा दी गई सूचना अनुसार बिना रसीद जारी किये श्री आर. आर. वर्मा उप निदेशक द्वारा कु0 23,500/=रुपये की राशि आगुंतकों से एकत्रित की गई, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है । उक्त वसूल की गई राशि कैश बुक में जमा नहीं की गई थी तथा इस प्रकार कुल 23,500/=रुपये की राशि दुर्विनियोजन की गई प्रतीत होती है। यह गम्भीर मामला निदेशक सैनिक कल्याण,हमीरपुर के निजि ध्यान में दोषियों के विरुद्ध तुरन्त उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से तुरन्त इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

दिनांक	कमरा नं.	दिन	दर	जोड़	टिप्पणी
2.8.95 से 5.8.95	1	4	100/=	400.00	
3.8.95 से 5.8.95	2	3	-"-	300.00	
3.8.95 से 5.8.95	4	3	-"-	300.00	
1.8.95 से 5.8.95	हाल	5	300/=	1500.00	
14.10.95 से 15.10.95	1	2	100/=	200.00	विद्युत बोर्ड सोलन की पार्टी के आयोजन हेतु ।

[illegible] 5 पर...

— 120 —

14. 10.95 व 15. 10.95	2	2	-"-	200.00	विद्युत बोर्ड सोलन की पार्टी के आयोजन हेतु ।
14. 10.95 व 15. 10.95	4	2	-"-	200.00	
14. 10.95व 15. 10.95	हाल	2	300/=	600.00	
18. 10.95व 19. 10.95	1,2, 3,व4	2	100/=	800.00	
18. 10.95व 19. 10.95	हाल	2	300/=	600.00	
21. 10.95व 22. 10.95	1,2व 3	2	100/=	600.00	
25. 10.95व 26. 10.95	1व2	2	100/=	400.00	
27. 10.95	2,3व4	1	100/=	300.00	
27. 10.95	हाल	1	300/=	300.00	
30. 10.95	3	1	100/=	100.00	
30. 10.95	हाल	1	300/=	300.00	
1. 11.95	1 व2	1	100/=	0200.00	[illegible] ।
6. 11.95 से 16. 11.95	2[illegible]	11	100/=	1100.00	दिल्ली की ग्रोवेल पार्टी ।
6. 11.95से 16. 11.95	हाल	11	300/=	3300.00	
18. 11.95से 20. 11.95	2,3व4	3	100/=	900.00	जयपुर की पर्यटक पार्टी ।
18. 11.95से 20. 11.95	हाल	3	300/=	900.00	
1. 12.95से 3. 12.95	2	3	100/=	300.00	
3. 12.95	हाल	1	300/=	300.00	सोलन की स्थानीय पार्टी ।
9. 12.95	2	1	100/=	100.00	सिरमौर की पार्टी ।
9. 12.95	हाल	1	300/=	300.00	
6. 1.96व 7. 1.96	2 व4	2	100/=	400.00	
21.2.96से 23.2.96	~~xxx~~ 1,2,3व 4	3	-"-	1200.00	मण्डी के छात्रों की पार्टी ।
21.2.96से 23.2.96	हाल	3	300/=	900.00	
13.4.96	2 व 4	1	100/=	200.00	कृषि [illegible] परीक्षा ।
18.4.96	1	1	100/=	100.00	

क्रमशः पृ. 6 पर.....

19.4.96 व 20.4.96	2,3 व 4	2	100/=	600.00	सोलन के स्थानीय निवासी की विवाह पार्टी।
19.4.96 व 20.4.96	हाल	2	300/=	600.00	
21.4.96 व 22.4.96	2,3,व4	2	100/-	600.00	नाहन के निवासी की विवाह पार्टी।
21.4.96 व 22.4.96	हाल	2	300/=	600.00	
26.4.96 से 28.4.96	1,2, 3 व4	3	100/=	1200.00	सोलन के स्थानीय निवासी की विवाह पार्टी।
26.4.96 से 28.4.96	हाल	3	300/=	900.00	
8.5.96 से 10.5.96	2 व4	3	100/=	600.00	जिलाधीश कार्यालय, सोलन के कर्मचारी की सेवानिवृत पार्टी।
8.5.96 से 10.5.96	हाल	3	300/=	900.00	
1.5.96 व 11.5.96	1	2	100/=	200.00	

जोड़:- 23,500.00

उपरोक्त के अतिरिक्त अवधि 8/95 से पूर्व इसी प्रकार वसूल की गई राशियों की विभागीय तौर पर शीघ्र जाँच करके तथा प्राप्त की गई राशियों को शीघ्र निधि में जमा करवाए जाने के अतिरिक्त दोषी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. <u>भारी मात्रा में निधि राशियों को हस्तगत रखे जाने बारे :-</u>

विश्राम गृह निधि की प्राप्त राशियों को तुरन्त बैंक में जमा न करवाकर इन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरण अनुसार हस्तगत रखे जाने से यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन राशियों का अस्थाई रूप से दुरुपयोग किया जाता रहा जो कि गम्भीर अनियमितता है। इस तरह राशियों को भारी मात्रा में हस्तगत रखने से ब्याज की हुई हानि की शीघ्र गणना करके इस राशि की दोषी से शीघ्र क्षतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए। यह गम्भीर मामला निदेशक, सैनिक कल्याण, हमीरपुर, हि० प्र० के निजि ध्यान में भी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

लगातार, पृ० 7 पर...

— 122 —

विभाग गृह निधि

मास	राशि जो कैश बुक में शेष दिखाई गई	मास	राशि जो कैश बुक में शेष दिखाई गई ।
4/91	1050.70	8/91	3518.70
5/91	2207.70	9/91	3440.70
6/91	2049.70	7/92	1029.00
7/91	3429.70	5/93	2009.00
7/93	1792.00	4/94	10606.00
8/93	2534.00	6/94	2535.00
9/93	3246.00	7/94	3602.00
10/93	5574.00	8/94	3520.00
11/93	5344.00	9/94	4517.00
12/93	6047.00	12/94	2282.00
1/94	6303.00	1/95	2974.00
2/94	7131.00	2/95	2735.00
3/94	7212.00	5/95	1413.00

8. भारी मात्रा में हस्तगत राशियाँ होते हुए भी बैंक से और राशियाँ निकालना :-

विभाग गृह निधि की कैश बुक X की जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि निधि की राशियों को जानबूझकर हस्तगत रखा गया ताकि राशियों का अस्थायी तौर पर दुरुपयोग किया जा सके । इसके अतिरिक्त माह में जो आय प्राप्त होती थी, उसे भी बैंक में अपनी सुविधानुसार ही जमा करवाया जाता रहा । अंकेक्षण के दौरान सबसे रोचक बात तो यह पाई गई कि जब भी किसी भुगतान हेतु राशियों की आवश्यकता पड़ती थी तो भारी मात्रा में हस्तगत रखी गई राशियों में से भुगतान न कर बैंक में से राशियां निकलवाकर भुगतान किया जाता रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्तगत रखी गई राशियों का निजि स्वार्थों हेतु उपयोग किया गया, जो कि गम्भीर अनियमितता है । भारी मात्रा में राशियों को हस्तगत रखे जाने वाले विवरण नीचे दिया गया है । यह गम्भीर अनियमितता निदेशक, सैनिक कल्याण, हमीरपुर, हि॰प्र॰ के निजि ध्यान में तुरन्त उचित कार्यवाई हेतु लाई जाती है ।

तिथि	हस्तगत रखी गई राशि	मास	वसूल की गई राशि	जमा की गई राशि	बैंक से निकलवाई गई राशि	अदा की गई राशि	हस्तगत रखी गई राशि
3.91	3102.70	4/91	13416.00	15460.00	2609.10	2609.10	1050.70
8.91	3518.70	9/91	1615.00	1693.00	2530.00	2530.00	3440.70
9.93	3246.00	10/93	3238.00	910.00	1519.00	1519.00	5574.00
10.93	5574.00	11/93	639.00	869.00	2419.00	2419.00	5344.00
11.93	5344.00	12/93	4243.00	3543.00	1915.00	1915.00	6047.00
12.93	6047.00	1/94	1212.00	956.00	1923.00	1923.00	6303.00
1.94	6303.00	2/94	4162.00	3234.00	2314.00	2314.00	7131.00
2.94	7131.00	3/94	10793.00	10712.00	3455.00	3455.00	7212.00
3.94	7212.00	4/94	8832.00	5438.00	4113.00	4113.00	10605.00

शेष अगले पृष्ठ पर...

7. श्री आर.आर. वर्मा, उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन से सरकारी आवास के किराये की मु0 93,223/=रुपये की देय राशि को वसूल किये जाने बारे :-

निदेशक, सैनिक कल्याण, हमीरपुर, हि0 प्र0 के पत्र संख्या 7-29/सोलन/92-एस.डब्लू, दिनांक 10.2.92 द्वारा मु0 500/=रुपये मासिक दर से व पत्र संख्या 7-29/सोलन/92-एस.डब्लू, दिनांक 31.5.93 द्वारा मु0 400/=रुपये मासिक दर से विश्राम गृह की पहली मंजिल में एक सेट श्री आर. आर. वर्मा, उप निदेशक को आवंटित किया गया। इसके अतिरिक्त जब तक वह अपने नाम से बिजली का मीटर नहीं लगवा लेते तब तक वह बिजली के कुल बिल की राशि का 20% भाग भी अदा करेंगे, लेकिन उन द्वारा बिजली का मीटर दिनांक 21.8.96 तक नहीं लगवाया गया और न ही बिजली का 20% भाग अदा किया गया। इसके अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार उन द्वारा आवास के किराये की केवल मु0 9620/=रु. की ही राशि अदा की गई।

दिनांक	रसीद सं0	अदा की गई राशि	टिप्पणी
4.12.92	268	1000.00	अवधि 1.4.92 से 31.5.92.
2.4.93	583	400.00	-"-
31.3.94	609	400.00	-"-
31.3.95	620	2600.00	-"-
5.6.95	626	3200.00	-"-
12.11.95	631	2020.00	-"-
	जोड़ :-	9620.00	

निदेशक, सैनिक कल्याण, हमीरपुर, हि0 प्र0 के पत्र संख्या 7-29/सोलन/86-एस.डब्लू, दिनांक 27.10.93 व पत्र संख्या 7-29/सोलन/86-एस.डब्लू, दिनांक 26.11.93 द्वारा श्री आर.आर.वर्मा, उप-निदेशक को यह आदेश जारी किये गये कि वह आवास किराये की राशि तुरन्त अदा करें व सरकारी आवास को खाली करें तथा इस सन्दर्भ में की गई अनुपालना की रिपोर्ट दिनांक 10.12.93 तक प्रस्तुत करें। लेकिन श्री आर. आर. वर्मा द्वारा लेखा परीक्षा के सम्पन्न होने तक न तो कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही सरकारी आवास को खाली किया गया जबकि वह दिनांक 5.6.96 को सोलन से ऊना के लिये स्थानान्तरित हो गये थे। श्री आर.आर. वर्मा, उप निदेशक, से सरकारी आवास के किराये की मु0 93,223/=रुपये की देय राशि को तुरन्त वसूल किया जाये, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है।

लगातार पृष्ठ 9 पर....

अवधि	मास	राशि
1.4.92 से 31.5.93 तक रु0 500/=रु. मासिक दर से ।	14	7000.00
1.6.93 से 31.12.93 तक रु0 400/=रु. मासिक दर से	7	2800.00
4/92 से 8/96 20% बिजली के बिल का भाग ।		3223.00
1.1.94 से 30.9.97 तक अनाधिकृत तौर पर कब्जा आवास का कुल 499 स्केयर फुट रु0 4/=रु. प्रति स्केयर फुट की दर से रु0 1996/= रुपये मासिक दर से ।	45	89820.00
	कुल जोड़ :-	102843.00
	अदा की गई राशि	9620.00
	अदा योग्य राशि	93223.00

10. विश्राम गृह की मुरम्मत पर व्यय की गई रु0 1,02,350/=रुपये की राशि का सम्भावित दुरुपयोग :-

सैनिक विश्राम गृह के नियम 22(ब) में दिए गए प्रावधानानुसार उक्त कार्य हेतु उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण को रु0 1000/=रुपये प्रति कार्य तक व्यय करने की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई थी, लेकिन उप-निदेशक श्री आर. आर. शर्मा द्वारा नियमों की उल्लंघना करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान विश्राम गृह की मुरम्मत पर रु0 1,02,350/=रुपये की अग्रिम राशि तीन मनोनीत ठेकेदारों को अदा की गई दर्शाई गई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है । अंकेक्षण में यह पाया गया कि उप निदेशक, द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई एवं नियमानुसार अनुमानित आकलन भी तैयार नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये बिना अपने स्तर पर ही उक्त राशियां अदा की गईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके भारी मात्रा में राशियों भुगतान की गई । उक्त वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं इन राशियों का दुरुपयोग तो नहीं कर लिया गया है । अतः यह प्रकरण निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, हमीरपुर, हि0 प्र0 के ध्यान में तथ्यों की जाँच सम्बन्धित विभाग से करवाए जाने हेतु लाया जाता है । जाँच के परिणामों से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 10 पर....

दिनांक	वाउचर नं0	अदा की गई राशि	ठेकेदार का नाम	निटि[illegible]
12.7.91	116	2500.00	श्री दुला राम, ठेकेदार	
8.8.91	129	1000.00	—"—	
13.8.91	130	1000.00	—"—	
17.9.91	138	1000.00	—"—	
21.10.91	151	600.00	—"—	
22.10.91	152	500.00	—"—	
29.10.91	154	3600.00	—"—	
22.11.91	16[illegible]	2000.00	—"—	
13.12.91	171	1000.00	—"—	
14.12.91	172	2000.00	—"—	
8.2.92	192	1000.00	—"—	
14.3.92	23	4950.00	—"—	
7.4.92	5	4200.00	श्री भानु राम, ठेकेदार	
30.6.92	21	5000.00	—"—	
2.5.94	13	5000.00	श्री दुला राम, ठेकेदार	
10.5.94	16	8000.00	—"—	
22.10.94	40	6200.00	श्री प्यार सिंह, ठेकेदार।	
19.12.94	24	1000.00	—"—	
21.1.95 से 27.1.95	70 से 72	4500.00	—"—	
14.2.95	80	10000.00	—"—	
21.2.95	81	1000.00	—"—	
9.3.95	94	2000.00	—"—	
14.3.95	95	4500.00	—"—	
16.3.95	96	2000.00	—"—	
27.3.95	97	4500.00	—"—	
29.3.95	98	3000.00	—"—	
31.3.95	105	3500.00	—"—	
26.4.95	13	3500.00	—"—	
6.5.95	14,[illegible]	1000.00	—"—	
26.6.95	23	2000.00	—"—	
22.8.95	39	2000.00	—"—	
31.8.95	40	1500.00	—"—	
30.9.95	41	1800.00	—"—	
3[illegible].10.95	47	4000.00		
		जोड़ 1,02,350.00		

लगातार पृष्ठ 11 पर...

11. **अनियमित व्यय :-**

विश्राम गृह निधि में से किया गया निम्नलिखित व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है अतः व्यय का नियमितिकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए अन्यथा व्यय की गई समस्त राशियों को उचित स्त्रोत से वसूल करके निधि में तुरन्त जमा करवाया जावे ।

मास	राशि	टिप्पणी	निधि जिसमें से राशि अदा की गई।
12/91	6068.00	अवधि 2/90 से 10/90 तक टेलिफोन बिल अदा करने हेतु ।	विश्राम गृह निधि
6/93	4234.00	टेलिफोन बिल अदा करने हेतु ।	विश्राम गृह निधि

12. **एक निधि से दूसरी निधि के लिए बिना स्वीकृति प्राप्त किये ऋण लिये जाने बारे :=**

सैनिक विश्राम गृह निधि के उपयोग से सम्बन्धित नियमों में दिए गए प्रावधान अनुसार निदेशक, सैनिक कल्याण, हि० प्र० की स्वीकृति लिए बिना एक निधि से दूसरी निधि के लिए ऋण नहीं लिया जा सकता । लेकिन अंकेक्षण अवधि के दौरान बिना स्वीकृति प्राप्त किए निम्न विवरणानुसार अस्थायी राशियाँ एक निधि से दूसरी निधि को ऋण के रूप में भुगतान की गई । इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इसकी रोक हेतु उचित कार्यवाही की जाए । इसके अतिरिक्त इन राशियों की सम्बन्धित निधियों को तुरन्त वापसी भी सुनिश्चित की जाए ।

क्र.सं.	ऋण लेने की तिथि	निधि जिसमें से ऋण लिया गया	निधि जिसको ऋण दिया गया	ऋण की राशि	ऋण की राशि को वापिस करने की तिथि ।
1.	8/91	विश्राम गृह निधि	आर.आर. निधि	2220.00	1.10.91
2.	12/91	—"—	कंटीजेंसी	6068.00	अभी तक राशि वापिस नहीं की गई
3.	12/91	उपहार विक्रय निधि	—"—	11000.00	—"—
4.	1/95	—"—	विश्राम गृह निधि	2500.00	—"—
5.	2/95	—"—	—"—	11000.00	—"—
6.	3/95	—"—	—"—	1100.00	—"—
7.	10/95	आर.आर. निधि	—"—	5580.00	—"—
8.	11/95	विश्राम गृह निधि	कंटीजेंसी	2020.00	—"—
9.	5/96	उपहार विक्रय निधि	विश्राम गृह निधि	1918.00	—"—
10.	6/96	—"—	—"—	1800.00	—"—

लगातार पृष्ठ 12 पर....

... बिना ... की गई ...

लगातार पृ० 14 पर..

11. 7/96	विश्राम गृह निधि	आर.आर. निधि	15000.00	10.10.96
12. 10/96	---"---	कार्यालय व्यय	5300.00	अभी तक राशि वापिस नहीं की गई
13. 10/96	---"---	---"---	2000.00	---"---
14. 5/94	कुण्डा विश्राम निधि	आर.आर. निधि	19980.00	23.1.95
15. 9/94	---"---	---"---	4000.00	23.1.95
16. 5/96	---"---	---"---	2000.00	अभी तक राशि वापिस नहीं की गई
17. 3/92	---"---	विश्राम गृह निधि	4950.00	---"---
18. 4/92	---"---	कैटीकी	2100.00	---"---
19. 12/94	---"---	विश्राम गृहनिधि	2000.00	---"---
20. 2/95	---"---	~~विश्राम गृह निधि~~ कैटीकी	4727.00	19.3.96 केवल रु0 2000/= रु. की राशि वापिस की गई।
21. 3/96	---"---	---"---	2886.00	अभी तक राशि वापिस नहीं कीगई

13. दिनांक 9.7.92 को निम्नविवरणानुसार रु0 464/=रुपये के व्यय के स्थान पर रु0 514/=रुपये की राशि भुगतान की गई। परिणामस्वरूप रु0 50/= रुपये की राशि अधिक अदा की गई। उक्त राशि दोषी व्यक्ति से वसूल कर विश्रामगृह निधि में तुरन्त जमा करवाई जाए।

दिनांक	बिल सं.	राशि
26.6.92	5161	401.76
---"---	1728	36.32
27.6.92	1729	25.92
	जोड़:=	464.00

14. **रु0 3000/ रुपये की राशि के किये गये भुगतान से सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत न किये जाने बारे :-**

विश्राम गृह निधि की कैश बुक की जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 5.3.93 को वाउचर संख्या 98 द्वारा रु0 3000/=रुपये की राशि श्री राम रतन, ठेकेदार को विश्राम गृह की सीमा पर कांटेदार तार लगाने हेतु अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई दर्शाई गई। परन्तु उक्त भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित न तो कोई वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही कोई नियमानुसार अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की गई। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लिये बिना ही उक्त राशि भुगतान की गई। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में [illegible]

लगातार पृष्ठ 13 पर....

[illegible]

आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि दोषी व्यक्ति से वसूल कर तुरन्त निधि में जमा करवाई जाए ।

15. दिनांक 12.8.93 को वाउचर संख्या 44 द्वारा रु० 1000/=रु. की राशि श्री आर.आर. वर्मा, उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण को अदा की गई दर्शाई गई । इस भुगतान में यह दर्शाया गया था कि उन द्वारा यह राशि अपनी जेब से भूमि विवाद के मामले में वकील को अदा की गई थी । लेकिन उक्त अदा की गई राशि से सम्बन्धित न तो वकील से कोई बिल प्राप्त किया गया और न ही कोई रसीद प्राप्त की गई । अतः यह प्रतीत नहीं हो सका कि वास्तव में कितनी राशि अदा की गई थी । अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा उक्त दोषी व्यक्ति से वसूल कर निधि में तुरन्त जमा करवाई जाए ।

16. __रु० 4000/=रुपये की राशि के किये गये भुगतान बारे अनियमितता:-__

दिनांक 29.7.93 को वाउचर संख्या 36 द्वारा रु० 4000/=रु. की राशि श्री आर. आर. वर्मा, उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण को विश्राम गृह में सफेदी एवं रंगरोगन करवाने हेतु अदा की गई । उक्त भुगतान की जाँच पर यह पाया गया कि उन द्वारा उक्त कार्य मास 12/91 में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये बिना ही करवाया गया था । इस प्रकरण में निदेशक, सैनिक कल्याण के पत्र संख्या 7-29-सौतन/86-एस. डब्लयु, दिनांक 13.8.93 द्वारा उक्त कार्य पर किये गये व्यय हेतु केवल रु० 2333/= रुपये की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा उप निदेशक द्वारा प्रेषित किये गये बिल भी वापिस लौटाये गये, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से था लेकिन शेष रु० 2467/=रुपये की अदा की गई राशि से सम्बन्धित न तो कोई वाउचर अभिलेख में उपलब्ध थे और न ही शेष किये गये व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई । अतः यह प्रतीत होता है कि उप-निदेशक को भुगतान की गई कुल 4000/=रुपये की राशि में से केवल 2333/= रुपये ही व्यय किए गए तथा शेष राशि 2467/=रुपये निधि में से वापिस न करके दुर्विनियोजन की गई प्रतीत होती है ।

दिनांक	बिल संख्या	राशि
29.12.91	1901	873.60
30.12.91	1903	920.40
30.12.91	1904	538.72
	योग:-	2332.72

शेष राशि की दोषी से शीघ्र वसूली तथा दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

17. दिनांक 4.4.95 को रु० 1901/=रुपये की राशि जिसका ब्यौरा नीचे दिया है, जिला लोक सम्पर्क कार्यालय में सफेदी व मुरम्मत के कार्य हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये बिना अदा की गई थी जि

लगातार पृ. 14 पर..

-129-

आपत्तिजनक है। उक्त किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान किए जाने सुनिश्चित किए जाएं ।

वाउचर संख्या	राशि
1.	155.50
2	559.45
3	555.70
4	450.00
5	180.00
जोड़:-	1900.65

18. **लघु आपत्ति विवरणिका :-**

यह अलग से जारी नहीं की गई थी ।

19. **निष्कर्ष :-** गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों पर शीघ्र कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है । वर्तमान लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 5 से 16 तक उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाये जाते हैं । लेखाओं का रख-रखाव अत्यन्त त्रुटिपूर्ण होने के कारण अधिक सुधार की आवश्यकता है ।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल.ए.)(एच)2(सी)(15)14/32/76, दिनांक, शिमला-2. 23 JUL 1998
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1) उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अविलम्ब भेजें ।
2) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर (हि०प्र०) ।
3) सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
4) जिलाधीश, सोलन जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।
5) श्री संजीव गुप्त, अनुभाग अधिकारी, द्वारा...... ...

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.